पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की ग्यारहवीं* बैठक (आपात्) शुक्रवार, दिनांक 29 मई, 2015 को अपरान्ह 3.00 बजे की विषयसूची

==

01. कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 11.05.2015 में विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ द्वारा प्रेषित मांग पत्र में उल्लेखित विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा के उपरान्त परीक्षण कर निराकरण हेतु गठित उपसमिति की अनुशंसा पर विचार करना।

टीप : समिति की अनुशंसा से संबंधित बंद लिफाफा माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

02. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.05.2015 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

03. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।

कुलसचिव

माननीय कार्यपरिषद् की आपातकालीन बैठक दिनांक 29.05.2015 के समक्ष रखे जाने हेतु संक्षेपिका

विषय :– कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 11.05.15 में वि.वि. कर्मचारी संघ द्वारा प्रेषित मांग पत्र में उल्लेखित विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा के उपरान्त परीक्षण कर निराकरण हेतु गठित उपसमिति की अनुशंसा पर विचार बाबत्।

––00––

विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ द्वारा पत्र कमांक/501/क.सं./2015 रायपुर दिनांक 22.04.2015 के द्वारा प्रेषित मांग पत्र में उल्लेखित विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा के उपरान्त परीक्षण कर निराकरण हेतु विश्वविद्यालय के अधिसूचना कमांक/1488/सा.प्रशा./2015 रायपुर दिनांक 15.05.2015 के द्वारा निम्नानुसार सदस्यों की उपसमिति का गठन किया गया था :–

1.	श्री ललित सुरजन, प्रधान सम्पादक, देशबंधु एवं माननीय कार्यपरिषद् सदस्य	–	अध्यक्ष
2.	श्री शिवरतन जी शर्मा, माननीय विधायक एवं कार्यपरिषद् सदस्य	–	सदस्य
3.	श्री नवीन मारकण्डेय, माननीय विधायक एवं कार्यपरिषद् सदस्य	–	सदस्य
4.	श्री एस.आई.शाह, सेवानिवृत्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश	–	सदस्य
5.	डॉ. भगवंत सिंह, प्राध्यापक एवं कार्यपरिषद् सदस्य	–	सदस्य
6.	डॉ. जे.एल.गंगवानी, उपकुलसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	–	संयोजक

समिति की बैठक दिनांक 18.05.2015 को अपरान्ह् 03.00 बजे, संचालक महाविद्यालय विकास परिषद् के कक्ष में आयोजित की गई थी, जिसमें श्री ललित सुरजन, श्री नवीन मारकण्डेय, श्री एस.आई.शाह एवं डॉ. जे.एल.गंगवानी उपस्थित रहे।

उपसमिति द्वारा कर्मचारी संघ द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र के विभिन्न बिन्दुओं, पर कार्यालय द्वारा प्रस्तुत टीप के परीक्षण उपरान्त की गई **अनुशंसा से संबंधित बंद लिफाफा माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचार करने हेतु प्रस्तुत।**

प्रति,

अध्यक्ष,
मान. कार्यपरिषद्,
पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि.,
रायपुर

विषयः– कर्मचारी संघ के मांग पत्र में उल्लेखित 11 बिन्दुओं का परीक्षण कर निराकरण हेतु गठित उप समिति की अनुशंसा का प्रेषण।

सदर्भः– वि.वि. अधिसूचना क्र.1488/सा.प्रशा./2015 रायपुर, दिनांक 15.05.2015.

विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्त अधिसूचना के तारतम्य में गठित उप समिति की कार्यवाही बैठक दिनांक 18.05.2015 को श्री ललित सुरजन की अध्यक्षता में संपन्न की गयी। जिसमें कर्मचारी संघ द्वारा प्रस्तुत की गयी विभिन्न मांगों पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा की गयी कार्यवाही की जानकारी प्राप्त की गयी।

साथ ही बैठक के समापन के पूर्व कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री श्रवण सिंह ठाकुर एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री रामेश्वर राठौर को समिति के समक्ष बुलाकर उनके द्वारा प्रस्तुत 11 मांगों पर उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया।

उप समिति द्वारा पं. रविशंकर शुक्ल वि0वि0 कर्मचारी संघ रायपुर द्वारा प्रेषित मांग पत्र कमांक 501/क.स./2015 रायपुर दिनांक 22.04.2015 में उल्लेखित 11 मांगों का बिन्दुवार परीक्षण कर समिति का अभिमत निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

बिन्दु कमांक 01

विश्वविद्यालय परिनियम 31 एवं माननीय मुख्य सचिव छ.ग. शासन के निर्देश का पालन करते हुए पात्रता प्राप्त कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदाय किया जावे।

–:उप समिति की अनुशंसाः–

कर्मचारी संघ की इस मांग के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रस्तुत की गयी टीप के सभी बिन्दुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया।

प्रकरण के संबंध में विधिक सलाहकार से प्राप्त विधिक अभिमत प्रस्तुत किया गया जिसमें विधिक अभिमत के सभी बिन्दुओं पर समिति ने सहमति व्यक्त की।

सभी संघों के प्रतिनिधियों की सहमति के आधार पर जिस पर कार्यपरिषद् के अनुमोदन के उपरांत वर्ष 2000 में पदोन्नति आदेश को विश्वविद्यालय प्रशासन ने आदेश कमांक 293/सा. प्रशा./2005 रायपुर दिनांक 02.02.2005 के द्वारा यथावत रखा है। तत्पश्चात् वर्ष 2005 में वरिष्ठता सूची जारी की गयी।

अतः इसी प्रकार कर्मचारी संघों को आपत्ति न होने के कारण वर्ष 2008 एवं 2011 में भी विद्यमान वरिष्ठता सूची के आधार पर कर्मचारियों को पदोन्नतियाँ प्रदाय की गयी है। अर्थात् कर्मचारी संघ को वर्ष 2011 की वरिष्ठता सूची मान्य थी।

साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा यह भी जानकारी दी गयी है कि– 1994 की वरिष्ठता से संबंधित याचिका क्र. WP(S) 2364/12 (श्री एम.के. भिड़े एवं अन्य) लंबित है एवं इस याचिका के संबंध में मान. उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा दिए गए निर्णय में इस बात का

भी उल्लेख किया गया है कि– कर्मचारियों की वरिष्ठता के निर्धारण के संबंध में न्यायालय की अनुमति के बिना कोई कार्यवाही न की जाए।

इस संबंध में मान. उच्च न्यायालय के अधिवक्ता से प्रकरण पर लिए गए विधिक अभिमत में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि– **"माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी अनेकों प्रकरणों में यह उल्लेख किया गया है कि– जब एक बार वरिष्ठता सूची का अंतिम रूप से प्रकाशन कर दिया गया है तो पुनः या बार–बार अंतिम वरिष्ठता सूची को नए सिरे से बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वरिष्ठता सूची को सदैव वाद–विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए।"**

विधिक अभिमत में यह अभिमत दिया गया है कि– **विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 03.05.1995 के माध्यम से अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित रखे गए पदों पर नियमानुसार अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों हेतु पदोन्नति की कार्यवाही की जा सकती है।**

दुबारा वरिष्ठता सूचियों को बनाने की आवश्यकता नहीं है, एवं उन्हें वर्ष 2011 की वरिष्ठता सूची के आधार पर ही आगे पात्रतानुसार पदोन्नति प्रदान की जा सकती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में समिति अनुशंसा करती है कि–

1. वर्ष 1994 में जारी वरिष्ठता सूची में तब–तक परिवर्तन नहीं किया जाना है जब–तक की माननीय उच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका कमांक 2364/2012 में अंतिम निर्णय न आ जावें।
2. वर्ष 2000 में सभी कार्मचारियों की सहमति के आधार पर आवश्यकतानुसार सभी कर्मचारियों को पदोन्नति दी जा चुकी है। जिसमें कई कर्मचारियों को एक साथ दो पदोन्नतियॉं भी प्राप्त हुई है।

   अतः इसमें आरक्षित वर्ग के कोई कर्मचारी यदि पदोन्नति से वंचित हो गए हों या त्रुटिवश छूट गए हों तो आदेश दिनांक 03.05.1995 में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित रखे गये पदो पर नियमानुसार अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के अभ्यर्थीयों हेतु पदोन्नति की कार्यवाही की जा सकती है।
3. सभी कर्मचारियों की 2005, 2008 एवं वर्ष 2011 में घोषित वरिष्ठता सूचियों के आधार पर पदोन्नतियॉं हुई है। अतः वर्ष 2011 में जारी अंतिम वरिष्ठता सूची के आधार पर सभी कर्मचारियों की आगे पदोन्नति की कार्यवाही की जा सकती है।

बिन्दु कमांक 02

आंतरिक व्यवस्था के तहत प्रदाय की जानी वाली अग्रिम यथा त्यौहार, चिकित्सा को छोड़कर कार, मोटर सायकल, कम्प्यूटर, आनाज अग्रिम, व्यक्तिगत ऋण भी अचानक बंद कर दिया गया है को पुनः प्रारंभ किये जाने बाबत्।

–:उप समिति की अनुशंसाः–

कर्मचारी संघ की इस मांग के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रस्तुत की गयी टीप पर विचार विमर्श किया ।

विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को शासन के द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशानुसार वेतन भत्ते एवं अन्य वित्तीय सुविधाऐं प्रदान की जाती है।

इसी तारतम्य में शासन के द्वारा अनेक प्रकार के ऋण एवं अग्रिम की सुविधा समाप्त कर केवल त्यौहार अग्रिम की सुविधा को यथावत रखा गया है जिसकी राशि बढ़ाकर रू. 8000/– प्रतिवर्ष की गई है।

शासन के आदेशानुसार विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व से प्रचलित ऋण एवं अग्रिम की सुविधा समाप्त करते हुए त्यौहार अग्रिम की राशि को रू. 8000/– करते हुए सत्र 2015–16 के बजट में प्रावधानित किया गया है। इसी के साथ चिकित्सा अग्रिम का प्रावधान किया गया है।

विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद द्वारा पूर्व में कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए **कुलपति आकस्मिक सहायता निधि** के माध्यम से भी आवश्यकता होने पर, वित्तीय सहायता दिए जाने की व्यवस्था लागू है।

विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा यह भी जानकारी दी गयी कि– पूर्व में आंतरिक व्यवस्था के तहत् कर्मचारियों को दी जा रही चिकित्सा भत्ते रू.500/– के लिए आडिट विभाग द्वारा आपत्तियॉ की जाती रही हैं।

बैंकों के द्वारा सभी नागरिको को विभिन्न कार्यों हेतु ऋण की सुविधा सुलभता से उपलब्ध करायी जा रही है। अत्यन्त गंभीर प्रकरणों में **कुलपति आकस्मिक सहायता निधि** के माध्यम से वित्तीय सहायता दिये जाने की व्यवस्था लागू है। अतः समिति ने शासन के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही पर सहमति व्यक्त की।

बिन्दु क्रमांक 03

विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की बैठक में एक कर्मचारी प्रतिनिधि को शामिल करने की मांग पर शासन द्वारा प्राप्त पत्र कमांक 146/ आयुक्त, उच्च शिक्षा/वि.वि. अनु./2013 रायपुर, दिनांक 06.03.2013 का संशोधन प्रस्ताव अतिशीघ्र शासन को प्रेषित करने बाबत्।

–:उप समिति की अनुशंसाः–

कर्मचारी संघ की इस मांग के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रस्तुत की गयी टीप एवं दी गयी जानकारी के सभी बिन्दुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया।

यह मांग विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबंधित है। इसके लिए शासन स्तर पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में आवश्यक संशोधन किया जाना होगा एवं तत्पश्चात् माननीय विधान सभा में संशोधन किए जाने के पश्चात् ही कार्यवाही की जा सकेगी।

इस समिति का यह भी मानना है कि– विश्वविद्यालय प्रशासन एवं कर्मचारियों के बीच निरंतर संवाद की व्यवस्था बनी रहे। चूंकि वर्तमान में विश्वविद्यालय कोर्ट की व्यवस्था समाप्त की जा चुकी है। इस लिए उनके द्वारा इस प्रकार मांग की जा रही है ताकि कर्मचारियों को अपनी समस्याओं को प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु एक अच्छा वातावरण निर्मित हो सके।

इस संबंध में कर्मचारी संघ की इस मांग का उल्लेख करते हुए, शासन को पुनः एक पत्र प्रेषित किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

बिन्दु क्रमांक 04

विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों से पद अनुरूप कार्य लिया जावे तथा शासन के स्थानान्तरण नियमों का पालन करते हुए 10–15 वर्षों से एक ही सीट में कार्य कर रहे कर्मचारियों एवं अधिकारियों का स्थानान्तरण करने बाबत्।

–:उप समिति की अनुशंसाः–

कर्मचारी संघ की इस मांग के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रस्तुत की गयी टीप एवं दी गयी जानकारी के सभी बिन्दुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया ।

विश्वविद्यालय में वर्तमान में पदों पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का निर्धारण नहीं किया जा सका है। अतः कार्यरत विभिन्न पदों के कर्मचारियों के कार्य एवं दायित्वों के मानदण्ड निर्धारित किए जाने आवश्यकतानुसार उन्हें विभिन्न अलग–अलग कार्यों में दक्षता हेतु प्रशिक्षण दिए जाने एवं विश्वविद्यालय हेतु एक मानव संसाधन नीति के निर्माण हेतु आवश्यक पहल किए जाने की अनुशंसा की जाती है। ताकि कर्मचारियों को अलग–अलग विभिन्न

विभागों में कार्य करने की दक्षता मिल सके एवं उनके व्यक्तिगत उन्नयन का मार्ग प्रशस्त हो सके।

साथ ही समिति यह भी अनुशंसा करती है कि– अच्छा कार्य करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत किए जाने की एक योजना बनायी जावे एवं ऐसी नीति निर्धारित की जावे जिसके तहत् प्रत्येक पाँच वर्ष के पश्चात् अथवा निर्धारित अवधि के पश्चात् कर्मचारियों के स्थानान्तरण की सुव्यवस्था निर्धारित हो सके।

बिन्दु कमांक 05

विश्वविद्यालय में कार्यरत जिन कर्मचारियों का चिकित्सा प्रतिपूर्ति का शेष है ऐसे कर्मचारियों को विश्वविद्यालय समन्वय समिति के निर्णय के परिपालन में चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ तत्काल प्रदान किया जावे।

साथ ही शासन के निर्देशनुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति का विकल्प चयन की सुविधा का अवसर प्रदान किये जाने बाबत्।

–:उप समिति की अनुशंसा:–

कर्मचारी संघ की इस मांग के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रस्तुत की गयी टीप एवं दी गयी जानकारी के सभी बिन्दुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया।

छ.ग. शासन वित्त एवं योजना विभाग द्वारा हाल ही में जारी आदेश कमांक 145/एफ 2015–21–00650/वि/नि/चार नया रायपुर, दि. 14.05.2015 के निर्देशानुसार कर्मचारियों से पुनः विकल्प भराए जाने हेतु दिनांक 31 जुलाई 2015 तक एक अंतिम अवसर इस शर्त पर दिए जाने को कहा गया है कि 31 जुलाई 2015 के उपरांत विकल्प परिवर्तन के किसी भी प्रकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।

अतः सर्वसम्मति से समिति– विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को संघ की मांग के अनुरूप, कर्मचारी हित में शासन के उपरोक्त आदेश को यथावत् अगीकृत करते हुए एक अवसर दिए जाने हेतु प्रकरण को मान. कार्यपरिषद् के समक्ष रखे जाने की अनुशंसा करती है।

बिन्दु कमांक 06

विश्वविद्यालय के द्वारा छूट प्रदान किये जाने के प्रावधान के तहत पी–एच.डी. में अध्ययनरत कर्मचारियों को भी शिक्षण शुल्क में छूट प्रदान किया जावे।

साथ ही जिन कर्मचारियों की शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति शेष है उन्हें तत्काल प्रदान किये जाने बाबत्।

–:उप समिति की अनुशंसा:–

कर्मचारी संघ की इस मांग के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रस्तुत की गयी टीप एवं दी गयी जानकारी के सभी बिन्दुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया।

वर्तमान में विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक 45 के प्रावधानों के तहत् विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को पी–एच.डी. की शिक्षण शुल्क में छूट दी जाती है। यदि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को भी ऐसी सुविधा उपलब्ध करायी जाती है तो निःसंदेह कर्मचारियों को अपने शैक्षणिक एवं बौद्धिक विकास का अवसर मिलेगा।

अतः समिति प्रत्येक वर्ष निर्धारित संख्या में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को भी उपरोक्तानुसार सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किए जाने की अनुशंसा करती है। साथ ही संख्या निर्धारित करते समय इस बात को भी ध्यान में रखा जावे कि विश्वविद्यालय के दैनंदिन कार्य में बाधा न पड़े। इसके नियम यथाशीघ्र तैयार किया जाए। तदानुसार अध्यादेश–45 में संशोधन की कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा करती है।

बिन्दु कमांक 07

विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रयोगशाला तकनीशियनों में से मात्र 05 प्रयोगशाला तकनीशियनों का विश्वविद्यालय द्वारा लाभ प्रदाय किया गया है। ठीक उसी प्रकार प्रयोगशाला तकनीशियनों को प्रात्रतानुसार लाभ प्रदाय किये जाने बाबत्।

–:उप समिति की अनुशंसाः–

कर्मचारी संघ की इस मांग के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रस्तुत की गयी टीप एवं दी गयी जानकारी के सभी बिन्दुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया ।

मांग के इस बिन्दु के संबंध में समिति यह अनुशंसा करती है कि– विश्वविद्यालय प्रशासन, शासन को पुनः एक बार पत्र प्रेषित करे जिसमें यह उल्लेख किया जावे कि– कुछ वर्ष पूर्व राज्य शासन द्वारा इस विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रयोगशाला तकनीशियन के 05 पदों को नाम सहित तकनीकी सहायक के पद पर उन्नयन किए जाने संबंधी आदेश जारी किए थे, उसी प्रकार विश्वविद्यालय में कार्यरत शेष प्रयोगशाला तकनीशियन को भी तकनीकी सहायक के पद पर उन्नयन करने की अनुमति प्रदान करें।

बिन्दु कमांक 08

विश्वविद्यालय में (सेवानिवृत्त शिक्षक/अधिकारी) अधिकारियों के पदों पर कार्यरत संविदा अधिकारियों को शासन के आदेशानुसार तत्काल हटाकर विश्वविद्यालय के कक्ष अधिकारी, वरिष्ठ अधीक्षक एवं कनिष्ठ अधीक्षक को विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी के रूप में पदस्थ करने बाबत्।

–:उप समिति की अनुशंसाः–

कर्मचारी संघ की इस मांग के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रस्तुत की गयी टीप एवं दी गयी जानकारी के सभी बिन्दुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया ।

कर्मचारी संघ की इस मांग के संबंध में सर्वसम्मति से समिति यह अनुशंसा करती है कि– कर्मचारी संघ द्वारा प्रस्तुत की गयी यह मांग कर्मचारी संघ के कार्यक्षेत्र के बाहर का विषय है। अतः इस विषय पर विचार करना या इसे संज्ञान में लेना उचित नहीं है।

बिन्दु कमांक 09

विश्वविद्यालय में 20–25 वर्षो से सेवा दे रहे 08 दैनिक वेतन कर्मचारियों को शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता प्रदान करते हुए शासन के पत्रों पर पुनः विचार करते हुए परिनियम 31 के अनुसार एवं शासन के आदेश कमांक एफ–12–2/2013/1–3 रायपुर दिनांक के अनुकम में दिनांक 17.01.2014 के अनुसार नियमितीकरण बाबत्।

–:उप समिति की अनुशंसाः–

कर्मचारी संघ की इस मांग के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रस्तुत की गयी टीप एवं दी गयी जानकारी के सभी बिन्दुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया ।

इस मांग के संबंध में समिति अनुशंसा करती है कि– विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा शासन को पुनः एक पत्र प्रेषित किया जावे जिसमें इस बात का उल्लेख किया जावे कि– विश्वविद्यालय में कार्यरत शेष 08 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो पूर्व में योग्यता/अर्हता पूरी नहीं करते थे, उनके द्वारा वर्तमान में शासन द्वारा निर्धारित योग्यता/अर्हता पूर्ण कर ली गयी है। ये कर्मचारी विश्वविद्यालय से निरंतर नियमित किए जाने की मांग कर रहे हैं।

इन कर्मचारियों को विश्वविद्यालय के रिक्त पदों के विरूद्ध नियमित किए जाने के कारण विश्वविद्यालय पर वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। शासन से इस संबंध में यह भी निवेदन किया जावे की चूँकि ये कर्मचारी लम्बे समय से विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत हैं इसलिए इन्हें नैसर्गिक न्याय के तहत् निर्धारित आयु सीमा में छूट दिए जाने हेतु निवेदन किया जावे।

बिन्दु क्रमांक 10

प्रथम श्रेणी लिपिकों का वेतनमान (अन्य वर्गों को प्रदत्त वेतनमान की भांति) रूपये 5000–8000 मान्य करते हुए भुगतान करने बावत्।

–:उप समिति की अनुशंसाः–

कर्मचारी संघ की इस मांग के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रस्तुत की गयी टीप एवं दी गयी जानकारी के सभी बिन्दुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया ।

इस मांग के संबंध में समिति अनुशंसा करती है कि– कर्मचारी संघ की इस मांग के अनुरूप विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए शासन को पुनः पत्र प्रेषित किया जावे।

बिन्दु क्रमांक 11

जिन कर्मचारियों की सेवावधि 02 वर्ष पूर्ण हो चुकी है एवं जिन्हें स्थायीकरण की पात्रता है ऐसे कर्मचारियों का स्थायीकरण तत्काल किये जाने बावत्।

–:उप समिति की अनुशंसाः–

विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा यह जानकारी दी गयी है कि– पात्रतानुसार विभिन्न वर्ग के कर्मचारियों के स्थायीकरण के आदेश की प्रकिया प्रकियाधीन है एवं यथाशीघ्र स्थायीकरण की कार्यवाही पूर्ण कर ली जावेगी।

समिति ने प्रशासन द्वारा दी गयी जानकारी से सहमति व्यक्त की।

25/05/2015

(लक्षित सुरजन) (नवीन मारकण्डेय) (एस.आई. शाह) (डॉ. जे.एल. गंगवानी)

NEERAJ CHOUBEY advocate
(Advocate)
Reg. No. C.G./ 661 /2002
Resident :- Mahamaya Vihar Colony , Left street No 3, Ware house Road, Bilaspur (C.G).
Cell Phone No. (O) 9893407057, 8109987121 (R)

प्रति,

श्रीमान् कुलसचिव जी,
पं. रवि शंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर , छ.ग.

दिनांक 17.05.2015

विषय :– माननीय उच्च न्यायालय के रिट याचिका क्रमांक 3578/1995 में पारित आदेश के संदर्भ में पदौन्नति की कार्यवाही एवं वरिष्ठता के प्रकरण पर विधिक अभिमत।

माननीय कुलसचिव जी,

उपरोक्त विषयांतर्गत, विश्वविद्यालय के परिनियम, विनियम एवं माननीय उच्च के द्वारा रिट याचिका क्रमांक 3578/1995 में पारित आदेश तथा वरिष्ठता सूची से संबंधित अभिलेखों के अध्ययनोपरांत, निम्नांकित तथ्य स्पष्ट होते है :–

1. यह कि, विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 20/03/1995 के माध्यम से कक्ष अधिकारी, वरिष्ठ अधीक्षक, कनिष्ठ अधीक्षक एवं उच्च वर्ग लिपिक के पदों पर पदौन्नति हेतु आदेश जारी किये गये थे, जिन्हें पुनः विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 03/05/1995 के माध्यम से, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित पदों को रिक्त रखा जाकर, शेष अनारक्षित पदों पर पदौन्नति हेतु संशोधित आदेश जारी किये गये थे।

2. यह कि, उक्त संशोधित आदेश से व्यथित होकर, एन. के. सोनी{ कक्ष अधिकारी }, आर. ए. माहोबिया {वरिष्ठ अधीक्षक}, बी. के. परहद {कनिष्ठ अधीक्षक}, के. पी. ठाकुर {उच्च वर्ग लिपिक ग्रेड –1} एवं सुधीर शर्मा { उच्च वर्ग लिपिक ग्रेड –2} के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष दिनांक 31/10/1995 को रिट याचिका क्रमांक 3578/1995 के माध्यम से विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 03/05/1995 को चुनौती दी गयी थी । उक्त याचिका पर दिनांक 06.11.1995 को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवायी हुयी थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा यह आदेशित किया गया था कि , Meanwhile, Status quo as it exists today in relation to petitioner's employment shall be maintained until further orders. अर्थात् दिनांक 06/11/95 की स्थिती में याचिकाकर्त्ताओं की स्थिती पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश प्रदान किया गया था।

उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में इस प्रकरण में यह स्पष्ट होता है कि, विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 03/05/1995 पर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा स्थगन आदेश नहीं दिये गये था। परन्तु दिनांक 06/11/95 की स्थिती में याचिकाकर्त्ता जिस पद पर कार्यरत् थे उसी पद पर उनकी स्थिती को बनाये रखने का आदेश दिया गया था।

Office :- THE LAW FIRM (Advocates & Solicitors), Near Mission School, Tilak Nagar, Bilaspur (C.G.) Pin- 495001
E-mail- nrjchoubey@gmail.com and nrj_choubey@rediffmail.com

NEERAJ CHOUBEY advocate
(Advocate)
Reg. No. C.G./ 661 /2002
Resident :- Mahamaya Vihar Colony , Left street No 3, Ware house Road, Bilaspur (C.G).
Cell Phone No. (O) 9893407057, 8109987121 (R)

अतः दिनांक 19/02/2013 को रिट याचिका के खारिज हो जाने के परिणामस्वरुप माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06/11/95 का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है तथा विश्वविद्यालय का आदेश दिनांक 03/05/1995 भी अपनी अंतिमता प्राप्त कर लेता है।

3. यह कि, रिट याचिका क्रमांक 3578/1995 में वरिष्ठता से संबंधित कोई विवाद नहीं था और उपलब्ध अभिलेखों के अध्ययन से भी यही स्पष्ट होता है कि विश्वविद्यालय के द्वारा वर्ष 1994 में जारी अंतिम वरिष्ठता सूची पर, किसी न्यायालय के द्वारा कोई स्थगन आदेश/अंतिम आदेश आज दिनांक तक पारित नहीं किया गया है।

4. यह कि वर्ष 1994 में जारी अंतिम वरिष्यता सूची के आधार पर पूर्व में पदौन्नति की कार्यवाही पर विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त सभी कर्मचारिय संघ के द्वारा भी अपनी सहमति, पत्र दिनांक 29.9.2000 के माध्यम से प्रदान थी एवं पत्र दिनांक 01.04.2005 के माध्यम से वर्ष 1994 की इसी अंतिम वरिष्ठता सूची के आधार पर पदौन्नत हुये सभी, कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय के कुलपति/कुलसचिव के प्रति आभार व्यक्त करते हुये प्रसारित अंतिम वरिष्ठता सूची पर अपनी संतुष्टी प्रदान की गयी थी तथा कालांतर में वर्ष 2005, 2008 एवं 2011 में पदौन्नति प्राप्त की गयी थी।

5. यह कि, वरिष्ठता सूची से संबंधित एक प्रकरण वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है जिसे महेन्द्र भिन्डे एवं जे. पी. पुरैना के दायर किया गया है। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि इस रिट याचिका में दिनांक 10.02.2012 को तथाकथित रुप से जारी की गयी अंतिम वरिष्ठता सूची की वैधानिकता का विवाद निहित है। जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय की युगल पीठ के द्वारा विश्वविद्यालय की ओर से दायर Review Petition No.26/2013 में अपने आदेश दिनांक 27.11.2013 में उल्लेखित किया है। अतः रिट याचिका कमांक 2364/2012 की लंबन अवधि में, याचिकाकर्ता से संबंधित वरिष्ठता सूची में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जाना चाहिये क्योकि प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि रिट याचिका कमांक 2364/2012 में पारित आदेश दिनांक 23.7.2012 के द्वारा विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 06.06.2012 पर स्थगन आदेश दिया गया है। अर्थात दिनांक 06.06.2012 के पूर्व का निर्णय ही प्रभावशील माना जायेगा, जो कि दिनांक 27.02.2012 को कुलसचिव महोदय के द्वारा लिया गया था। इसी प्रकार से Cont. Case No. 122/2013 में पारित आदेश दिनांक 25.02.2013 में भी वरिष्ठता सूची के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया है कि, लंबित याचिका कमांक 2364/2012 के अंतिम निराकरण के पूर्व बिना न्यायालय की अनुमति के किसी भी प्रकार का संशोधन विश्वविद्यालय के द्वारा नहीं किया जाना चाहियें।

6. यहॉ यह उल्लेखनीय है कि, माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा अनेको प्रकरणों में यह उल्लेखित किया गया है कि "जब एक बार वरिष्ठता सूची का अंतिम रुप से प्रकाशन कर दिया गया है, तो पुनः या बार– बार , अंतिम वरिष्ठता सूची को नये

Office :- THE LAW FIRM (Advocates & Solicitors), Near Mission School, Tilak Nagar, Bilaspur (C.G.) Pin- 495001
E-mail- nrjchoubey@gmail.com and nrj_choubey@rediffmail.com

NEERAJ CHOUBEY advocate
(Advocate)
Reg. No. C.G./ 661 /2002

Resident :- Mahamaya Vihar Colony , Left street
No 3, Ware house Road, Bilaspur (C.G).
Cell Phone No. (O) 9893407057, 8109987121 (R)

सिरे से बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वरिष्ठता सूची को सदैव वाद–विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिये।"

माननीय उच्चतम न्यायाल के द्वारा Shiba Shankar Mohapatra Vs. State of Orissa { Reported in 2010 AIR SCW 348} में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक निश्चित समय अवधि के पश्चात् वरिष्ठता सूची संबंधित विवाद को उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। { Rohitash Kumar & oth. Vs. Om Prakash Sharma & ors. Reported in 2013 vo. 11 SCC 451 } में पुन : इसी सिद्धॉत को मान्य किया गया है, उपरोक्त की स्थिती में विश्वविद्यालय के द्वारा वर्ष 1994 में प्रकाशित वरिष्ठता सूची जो कि 21 वर्ष पूर्व ही अपनी अंतिमता प्राप्त कर चुकी है, को वर्तमान में संशोधित किया जाना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टॉत के प्रकाश में उचित प्रतीत नहीं होता है।

7. यह कि, सामान्यता , भूतलक्षी प्रभाव से पनोन्नति/वरिष्ठता प्रदान करने से न केबल अनावश्यक वित्तीय भार उत्पन्न होता है, अपितु अन्य कर्मचारियों की वरिष्ठता प्रभावित होने से अनावश्यक विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। "विधि का यह सुस्थापित सिद्धॉत है कि, किसी भी व्यक्ति को भूतलक्षी प्रभाव से ऐसी तिथि से पदोन्नति नहीं दी जा सकती जब वह संवर्ग ही में न हो; इसी प्रकार से भूतलक्षी प्रभाव से किसी व्यक्ति को उस दिनांक से वरिष्ठता प्रदान नहीं की जा सकती जब उसका जन्म ही उस संवर्ग में ही न हुआ हो। { State of Bihar Vs. Akhouri Sachindra Nath. Reported in 1991 Supp 1 SCC 334 }.

अतः उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में, मेरा यह अभिमत है कि, विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 03/05/1995 के माध्यम से, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित रखे गये पदों पर , नियमानुसार अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के अभ्यर्थीयों हेतु पदौन्नति की कार्यवाही की जा सकती है।

" इस पदौन्नति की प्रकिया में वर्ष 1994 की स्थिति में जारी अंतिम वरिष्ठता सूची को भी संशोधित किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी, पदौन्नति के फलस्वरुप उच्च पद को पदौन्नति के आदेश दिनांक से प्राप्त करेगें एवं उनकी वरिष्ठता का निर्धारण भी पदोन्नत पद पर, पदभार ग्रहण करने की तिथि से किया जा सकेगा।

भवदीय

नीरज चौबे

अधिवक्ता उच्च न्यायालय बिलासपुर

Office :- THE LAW FIRM (Advocates & Solicitors), Near Mission School, Tilak Nagar, Bilaspur (C.G.) Pin- 495001
E-mail- nrjchoubey@gmail.com and nrj_choubey@rediffmail.com

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 3671 /अका./वि.प.स्थायी समिति/2015 रायपुर, दिनांक: 28/05/2015

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की आवश्यक बैठक गुरूवार, दिनांक 28.05.2015 पूर्वान्ह 12.00 बजे **कुलपति कक्ष** में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे –

1.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	डॉ. रोहिणी प्रसाद	–	सदस्य
3.	डॉ. स्वर्णलता सराफ	–	सदस्य
4.	डॉ. सी.डी. अगासे	–	सदस्य
5.	डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	–	सदस्य
6.	डॉ. एस.सी. नैथानी	–	सदस्य
7.	डॉ. अब्दुल अलीम खान	–	सदस्य
8.	श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव	–	सचिव

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

01. विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक **16.04.2015 एवं 08.05.2015** के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 16.04.2015 एवं 08.05.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

02. एन.सी.टी.ई. रेगुलेशन 2014 के अंतर्गत बी.एड्. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : एन.सी.टी.ई. रेगुलेशन 2014 के अनुसार बी.एड्. पाठ्यक्रम 2016–17 से प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में निर्णय निम्नानुसार है :–

बी.एड्.

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
1.	रामचण्डी महाविद्यालय सरायपाली बगाईजोर, सरायपाली, जिला–महासमुंद	बी.एड्.	निरीक्षण तिथि :– 23.05.2015 रामचंडी महाविद्यालय सरायपाली का निरीक्षण किया गया। NCTE Regulation 2014 के संलग्न परिशिष्ट 4 के अर्हताओं को (बी.एड्. की कक्षाओं को प्रारंभ करने को) पूर्ण करता है। सत्र 2016–17 के लिये सम्बद्ध प्रपत्र संलग्न है। N.O.C. देने में कोई आपत्ति नहीं है। N.O.C. दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।	सत्र 2016–17 से बी.एड्. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई।
2	रामदर्शन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, पिथौरा (श्रम सृजन समाजसेवी संस्था)	बी.एड्.	निरीक्षण तिथि :– 23.05.2015 रामदर्शन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, पिथौरा का निरीक्षण किया गया। NCTE Regulation 2014 के संलग्न परिशिष्ट 4 की अर्हताओं को (बी.एड्. हेतु 2016–17 से प्रारंभ करने हेतु) पूर्ण करता है। N.O.C. दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।	सत्र 2016–17 से बी.एड्. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
3.	विद्यापीठ कालेज, दुर्ग (दाऊ परमानंद अग्रवाल मेमोरियल) लक्ष्मीनारायण महाराज ट्रस्ट किला मंदिर दुर्ग	बी.एड्.	**निरीक्षण तिथि :— 25.05.2015** The committee Constituted of the following member for the inspection of "Vidyapeeth" College (Dau Parmanand Agrawal Memorial), Durg for the approval of NOC for the B.Ed. Course scheduled for the academic session 2016-17, Visited the college on 25-5-15. The members inspected the College and found all the infrastructure as per the norms and standard laid down by NCTE Regulation 2014, Clause 4, adequate and satisfactory. Hence, the committee members unanimously recommend the NOC for B.Ed. course in "Vidyapeeth" College, Durg.	सत्र 2016—17 से बी.एड्. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई।
4.	छत्तीसगढ़ कालेज ऑफ एजुकेशन, पी.एच. नं.—28, ग्राम—धनोरा, पो.—हनोद, दुर्ग (दुर्ग एजुकेशन एंड चैरिटेबल सोसायटी)	बी.एड्.	**निरीक्षण तिथि :— 25.05.2015** The committee Constituted of the following member for the inspection of Chhattisgarh College of Education, Durg for the approval of NOC for the B.Ed. Course scheduled for the academic session 2016-17, Visited the college on 25-5-15. The members inspected the College and found all the necessary infrastructure as per the NCTE Regulation 2014, Clause 4, Norms and standard adequate and satisfactory. Hence, the committee members unanimously recommend the NOC for B.Ed. course in Chhattisgarh College of Education, Durg.	सत्र 2016—17 से बी.एड्. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई।
5.	सेंचुरी सीमेंट महाविद्यालय, बैकुंठ, जिला—रायपुर	बी.एड्.	**निरीक्षण तिथि :— 25.05.2015** Century Cement College in run by century Cement Company. It is located in the township of the Company. At present the College conducts PGDCA, BCA, B.Com., M.Com Now, the College has applied to conduct B.Ed. course for which the NOC is sought by the college. The visiting team constituted by Pt. Ravishankar Shukla University has visited and inspected the College on points of Annexure 4. The college wish to	सत्र 2016—17 से बी.एड्. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
			conduct the B.Ed. Course in the same building in which the other course are running. The preliminary observation of the team is that the college has sufficient rooms to conduct the program. For other infrastructure and amenitis, the Secretary of the society has given a declaration of assurance to fulfill the norms of standards of NCTE Regulations 2014. Based on the declaration, the committee suggest to permit the college to run B.Ed. course of one unit. Hance, NOC may be issued.	
6.	ए.व्ही.एस. प्रेसीडेन्सी इन्टरनेशनल कालेज, माना, रायपुर	बी.एड.	**निरीक्षण तिथि :– 25.05.2015** महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। बी.एड. हेतु भवन का निर्माण नहीं हुआ है। मात्र जमीन है। जिसमें भवन मार्च 2016 तक निर्माण किये जाने की बात शपथ पत्र में की गयी है। भवन ना होने के कारण समिति यह स्पष्ट अनुशंसा करती है कि **बी.एड. हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) नहीं दिया जा सकता।** क्योंकि NCTE Regulation 2014 के परिशिष्ट 4 की शर्तों को पूर्ण नहीं करता।	**31 मार्च, 2016 तक भवन निर्माण पूर्ण करने के लिए दिए गए शपथ पत्र के आधार पर सत्र 2016–17 से बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई।**

03. निम्नलिखित 3 महाविद्यालयों द्वारा बी.एड्. के लिए अनापत्ति जारी किये जाने हेतु निरीक्षण संबंधि कार्यवाही नहीं की है –

1. मंगल दुबे मेमोरियल समिति डुंगाजी कालोनी, रायपुर (दि रेडियंट वे कालेज, रायपुर)
2. श्री जैन मण्डल बालोद (महावीर महाविद्यालय डौली रोड, बालोद)
3. श्री अभिनव शैक्षणिकोत्तर सामाजिक उत्थान समिति रायपुर

निर्णय : मंगल दुबे मेमोरियल समिति डुंगाजी कालोनी, रायपुर (दि रेडियंट वे कालेज, रायपुर) एवं श्री अभिनव शैक्षणिकोत्तर सामाजिक उत्थान समिति रायपुर महाविद्यालय द्वारा दिनांक 29 मई, 2015 तक निरीक्षण कराकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करते है तो उन्हें प्रतिवेदन के आधार अनापत्ति प्रमाण–पत्र दी जा सकती है।

श्री जैन मण्डल बालोद (महावीर महाविद्यालय डौली रोड, बालोद) का निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ एवं अध्यक्ष के अनुमति से समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

04. एन.सी.टी.ई. रेगुलेशन 2014 के अंतर्गत एम.एड्. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **एन.सी.टी.ई. रेगुलेशन 2014 के अनुसार एम.एड्. पाठ्यक्रम 2016–17 से प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में निर्णय निम्नानुसार है :–**

<u>एम.एड्.</u>

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
1.	एम.जे. कालेज, कोहका–जुनवानी रोड, भिलाई, जिला–दुर्ग	एम.एड्.	निरीक्षण तिथि :– 19.05.2015 With reference to university letter no. 3536/Acad/2015 dated 12-05-2015 the committee inspected the M.J. College on 19-05-2015 and observed the followings: 1. That the B.Ed. Course in the MJ College is continuing since 2006 and it has completed around nine years. 2. That B.Ed. course in this college is functioning in TWO units. List of teachers attached. 3. That College is accredited by NACC in B Grade (2.32) by 7th meeting of standing Committee held on 11th May 2015. (Copy Attached) **4.** That B.Ed. Course in MJ College is affiliated to Pt. Ravishankar Shankar Shukla University since its inspection and at present it fulfils the necessary conditions. (For which principal has submitted an affidavit) **5.** That the MJ College fulfils the necessary infrastructure facilities, civic amenities, Labs, Resource centre etc to start M.Ed Programme. However the following deficiencies have yet to be removed: i. Books and journals as specified by NCTE for M.Ed programme has to be completed. Even though the principal informed that an order to purchase these books and journals has already been placed. ii. Arrangement of separate cabins for teachers is yet to be made. The principal informed and attached an undertaking that a big hall will be converted into cabins very soon. In view of the above observations the committee is of the opinion that NOC for the M.Ed. course may be given subject to further Inspection before the affiliation of M.Ed. Programme.	सत्र 2016–17 से एम.एड्. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
2.	जी.डी. रूंगटा कालेज ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, भिलाई, जिला–दुर्ग	एम.एड्.	**निरीक्षण तिथि :– 26.05.2015** G.D. Rungta College is located in Kohka, Durg. The Visiting team constituted by Pt. Ravishankar Shukla University has visited the College and inspected the college for issue of NOC to conduct M.Ed. Program as per the new regulations of NCTE, 2014. The College has sufficent infrastructure to conduct M.Ed. Course. The Library has at promt 5000 books and further subscribed another 1500 books exclusively for M.Ed. subscription bills for National and 3 international journals were enclosed. The College is presently running B.Ed. program which has separate classrooms, a multipurpose hall and other required infrastructure. The multipurpose hall will be shared for both the B.Ed. and M.Ed. Programs. The College has applied for NAAC accreditation and the process in on. Hence there is no grade to mention till date. NOC may be issued by the University with a condition that the institute get a grade by NAAC before university gives affiliation to start M.Ed. course.	सत्र 2016–17 से एम.एड्. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई।
3.	भिलाई महिला महाविद्यालय, भिलाई	एम.एड्.	**निरीक्षण तिथि :– 24.05.2015** The committee visited Bhilai Mahavidyalaya on 24.05.2015 and inspected the college for M.Ed. course the College in running B.Ed. Course since 2009-10 session successfully. Facilities for proposed M.Ed. course are as per affidavit (enclosed). The College has sufficient infrastructure to conduct M.Ed. programme, provided college fulfils verdict mentioned in their affidavit. Committee recommends for the issue of NOC for M.Ed. course.	सत्र 2016–17 से एम.एड्. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
4.	ग्रेसियस कालेज आफ एजुकेशन, अभनपुर, जिला–रायपुर	एम.एड्.	निरीक्षण तिथि :– 26.05.2015 The Inspection committee comprised of Prof. R.P. Das, Prof. Bhagwant Singh & Prof. (Mrs.) M. Vani Subramaniam visited & Inspected the College at 11.30 a.m. on 25/5/2015. The committee observed that the college is running B.Ed. Course successfully. College is having regular faculties for B.Ed. Course. College is NAAC accredited. Fixed deposit of required amount is available in the college. Sufficient infrastructure is available. College has assured to develop other thing mentioned in the affidavit. Hence, committee recommends that the University may issue N.O.C. to start M.Ed. course w.e.f. 2016-17.	सत्र 2016–17 से एम.एड्. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई।
5.	विप्र कला, वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, आमापारा, रायपुर	एम.एड्.	निरीक्षण तिथि :– 25.05.2015 The committee inspected the Vipra College in 25-05-2015 for M.Ed. course. The college is running B.Ed. course since 2007 satisfactorily. The Facilities for proposed M.Ed. are partially available. Based on affidavit given by college Principal, committee recommends for the issue of NOC for M.Ed. course.	सत्र 2016–17 से एम.एड्. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई।
6.	कांति दर्शन शैक्षणिक एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थान, कोसा नगर, भिलाई	एम.एड्.	निरीक्षण तिथि :– 26.05.2015 The committee consists of Prof. R.P. Das, Prof. Bhagwant Singh and Dr. M.Vani Subramaniam visited the college for issuing NOC to start M.Ed. Programme as per the New regulations of NCTE 2014. The college is running B.Ed. course, it is accredited by NAAC & has obtain B Grade. The college has construction area-5777 Square Mtr. Number of rooms required for Class Rooms for B.Ed and M.Ed. are existing as per NCTE norms FD worth Rs. 12 lacks are made by the college. However,	सत्र 2016–17 से एम.एड्. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
			There is no librarian appointed under college code 28. International Journals don't exist in Library. Journal purchased invoices were not shown. Invoices shown for purchase of books were not in the name of Kanti Darshan College. OHP & PA system were not installed in the seminar Hall but kept in sore room. Hence the committee recommends - NOC may be issued to the college subject to fulfillment of above deficiencies.	

05. कांफ्लूएंस कालेज आफ हायर एजुकेशन, राजनांदगांव द्वारा नैक एक्रीडिशन के लिए आवेदन नहीं दिये जाने के कारण एम.एड्. पाठ्यक्रम हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में निरीक्षण करवाने में असमर्थता जाहिर की।

निर्णय : कांफ्लूएंस कालेज आफ हायर एजुकेशन, राजनांदगांव द्वारा नैक एक्रीडिशन के लिए आवेदन नहीं दिये जाने के कारण एम.एड्. पाठ्यक्रम हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए निरीक्षण निरस्त करने की सूचना ग्रहण की गई।

06. इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम (बीए.–बी.एड्., बी.एस.सी.–बी.एड्.) प्रारंभ करने हेतु निम्नलिखित महाविद्यालयों के आवेदन के संबंध में विचार करना।

1. ग्रेसियस कालेज, बेलभाटा, अभनपुर, रायपुर
2. शैल देवी महाविद्यालय, अण्डा, दुर्ग
3. सांदिपनी महाविद्यालय, ग्राम–अछोटी, जिला–दुर्ग

निर्णय : एन.सी.टी.ई. रेगुलेशन 2014 के अनुसार 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम (बीए.–बी.एड्., बी.एस.सी.–बी.एड्.) के संबंध में प्राप्त आवेदन पर विचार विमर्श के पश्चात् सभी संकायाध्यक्षों का अभिमत है कि प्रस्तावित इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम में बी.एड्. के साथ बी.ए. एवं बी.एस–सी. का भी अध्यापन होगा, अतः उच्च शिक्षा विभाग की अनुमति आवश्यक है। संबंधित संस्थाओं को उच्च शिक्षा विभाग से NOC प्राप्त करने हेतु सूचित किया जावे।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

01\. श्री जैन मण्डल बालोद (महावीर महाविद्यालय डौली रोड, बालोद) एन.सी.टी.ई. रेगुलेशन 2014 के अनुसार बी.एड्. पाठ्यक्रम 2016–17 से प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
1.	श्री जैन मण्डल बालोद (महावीर महाविद्यालय डौली रोड, बालोद) **निरीक्षण समिति** – 1. प्रो. बशीर हसन, संचालक, अध्यापक शिक्षा संस्थान 2. प्रो. एस.सी. नैथानी, बायोसाइंस अ.शा. 3. डॉ. (श्रीमती) एम. वाणी सुब्रमण्यम, प्राचार्य, भिलाई मैत्री महावि. भिलाई	बी.एड्.	निरीक्षण तिथि :– 28.05.2015 The following members of the committee Constituted for the inspection of Mahavir Mahavidyalaya, Balod (Shri Jain Mandal Balod Association) in reference to B.Ed. Course, Visited the college on 28-5-15. The committee members found as per the norms and standard laid down by NCTE Regulation 2014, Clause 4, for B.Ed. degree in under construction and will be completed as per the affidavit submitted by December 2015. Hence, the committee recommend unanimously the NOC for B.Ed. course in the Mahavir Mahavidyalaya, Balod.	सत्र 2016–17 से बी.एड्. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्र. 3672 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / **2015** रायपुर, दिनांक: 28 **/05/2015**

प्रतिलिपि :–

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. उ.कु.स. गोपनीय / परीक्षा,
3. वित्त नियंत्रक / अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

वित्त निर्देश 16/2015

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

कमांक 155/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 26 मई, 2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़ ।

विषयः-राज्य शासन के कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतनमान 2009 में दिनांक 01.01.2015 से महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरें ।

राज्य शासन ने वित्त विभाग के ज्ञापन कमांक 403/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार, दिनांक 04 अक्टूबर, 2014 एवं ज्ञापन कमांक 488/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2014 द्वारा छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 में नियत वेतन संरचना के अंतर्गत वेतन प्राप्त करने वाले शासकीय सेवकों को दिनांक 01.07.2014 से 107 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया है । शासन द्वारा उक्त महंगाई भत्ते की दर में निम्नानुसार संशोधन करने का निर्णय लिया गया है:-

अवधि जब से देय है	महंगाई भत्ते की दर का प्रतिशत
दिनांक 01-01-2015 (माह जनवरी, 2015 का वेतन जो माह फरवरी, 2015 में देय है)	113 प्रतिशत

(2) राज्य शासन यह भी निर्देशित करता है कि :-

1. बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि नगद भुगतान की जावेगी ।
2. महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन (वेतन बैंड में वेतन + ग्रेड वेतन) के आधार पर की जावेगी । इसमें विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा ।
3. महंगाई भत्ते का कोई भी भाग मूलभूत नियम 9(21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।

4. महंगाई भत्ते के कारण किये जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हों तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपयों में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा ।

5. ये आदेश यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे ।

6. इन आदेशों के अंतर्गत देय महंगाई भत्ते का भुगतान विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

26/05/2015

(एस.के. चक्रवर्ती)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ. क्रमांक 156/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 26 मई, 2015

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर ।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ, उच्च न्यायालय बोदरी, पोस्ट ऑफिस-हाई कोर्ट ब्रांच, बिलासपुर (छ0ग0) पिन कोड-495220 ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर ।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नया रायपुर ।
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर ।
9. सचिव, वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर ।
10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नया रायपुर ।
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली ।
12. राज्य सूचना आयुक्त, शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर ।
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
14. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर ।
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर ।
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ ।
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़ ।
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर ।
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर की ओर वित्त विभाग की बेबसाइट **www.cgfinance.nic.in** में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

26/05/15

(ज्योति ठाकुर सोरी)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
वित्त विभाग

वित्त निर्देश 17/2015

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 158/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 26 मई, 2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय :- छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर मंहगाई राहत स्वीकार करने के संबंध में ।

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 432/एफ-2013-04-00188/वित्त/नियम/चार, दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 एवं परिपत्र कमांक 23/एफ 2013-04-00188/वि/नि/चार, दिनांक 6 फरवरी, 2015 द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर दिनांक 01.07.2014 से 107 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत स्वीकृत की गई है।

राज्य शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के पेंशनर/परिवार पेंशनरों को निम्नानुसार दर से मंहगाई राहत स्वीकृत की जाये । वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी :-

अवधि जब से देय है	मंहगाई राहत की दर प्रतिमाह
दिनांक 01-01-2015 से (माह जनवरी, 2015 की पेंशन/परिवार पेंशन जो माह फरवरी, 2015 में देय होगी)	पेंशन/परिवार पेंशन का 113 प्रतिशत

2/ उपरोक्त मंहगाई राहत अधिवार्षिकी (Superannuation), सेवानिवृत्त (Retiring), असमर्थता (Invalid) तथा क्षतिपूर्ति (Compensation) पेंशन पर देय होगी । सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकम्पा भत्ता (Compassionate Allowance) पर भी इस मंहगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त मंहगाई राहत वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/43/76/नियम-2/चार, दिनांक 5-10-76 के प्रतिबंधों के अधीन देय होगी । ऐसे मामलों में जहां पेंशन/परिवार पेंशन भोगी राज्य शासन या किसी

स्वशासी संस्था में नियुक्त/ पुनर्नियुक्त है, वहां पेंशन पर मंहगाई राहत की पात्रता नही होगी । कोई व्यक्ति यदि उसके पति/पत्नी की मृत्यु के समय सेवा में है और उसे अनुकंपा के आधार पर सेवा में नहीं रखा गया है तो पति/पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे मंहगाई राहत की पात्रता होगी । यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर मंहगाई राहत की पात्रता नहीं होगी । इस संबंध में वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/10/76/नियम-2/चार, दिनांक 27-7-76 सहपठित ज्ञापन एफ.बी. 6/10/77/नि -2/चार, दिनांक 2-5-77 एवं ज्ञापन क्रमांक 211/379/वित्त/नियम/चार/2007, दिनांक 24-7-2007 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

3/ ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत (Commute) कराया है, उन्हें मंहगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सरांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी ।

4/ यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी लागू होंगे, जिन्होंने उपक्रमों/स्वशासी संस्थाओं/मंडलों/निगमों आदि में संविलियन पर एक मुश्त राशि आहरित की है और जो वित्त विभाग के ज्ञाप दिनांक 144/97/वित्त/नियम/चार/2007, दिनांक 5-6-2007 के अन्तर्गत पेंशन के एक तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गये है ।

5/ मंहगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा ।

6/ राज्य शासन के समस्त कोषालय अधिकारियों/उप कोषालय अधिकारियों/ पेंशन वितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के पृ.क्र. ई-4/1-83/नि-5/चार, दिनांक 29 जनवरी, 1983 के अनुसार छत्तीसगढ़ कोष संहिता भाग-1 के सहायक नियम 347 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान मे रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेंशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत मंहगाई राहत का शीघ्र भुगतान करें । भुगतान उपरांत पूर्वानुसार महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राधिकार प्राप्त होने पर मंहगाई राहत की राशि का मिलान कर लिया जाये । यदि कोई विसंगति दृष्टिगोचर होती है तो उसका समायोजन आगामी माह के भुगतान में कर लिया जावे ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

26/05/2015

(एस.के. चक्रवर्ती)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
FINANACE & PLANNING DEPARTMENT
MANTRALAYA,
MAHANADI BHAVAN, NAYA RAIPUR

No. 158/F-2013-04-00416/Fin./Rule/IV, New Raipur, Dated 26 May. 2015

To,

All Department of Government
The President of Board of Revenue, Bilaspur
All Commissioners of Divisions
All Heads of Department
All Collectors
Chhattisgarh.

Sub - Sanction of dearness relief on the Pension of the Pensioners of the State of Chhattisgarh.

The State Government had sanctioned 107 % dearness relief w.e.f. 01-07-2014 on pension/family pension to their pensioners/family pensioners vide Finance Department Memo No. 423/F 2013-04-00188/Fin/Rule/IV, dated 31st October, 2014 and Memo No. 23/F 2013-04-00188/Fin/Rule/IV, dated 6 February, 2015 . The State Government has now decided that the dearness relief admissible to pensioners should be sanctioned as given below. The additional pension payable to old pensioners shall also qualify for dearness relief.

Period	Rate of Dearness relief per month
w.e.f. 01-01-2015 (Pension/family pension for the month of January 2015 paid in February 2015)	113% of Pension/family pension

2. The above dearness relief shall be payable on the Superannuation, Retiring, Invalid and Compensation Pension. This dearness relief shall also be payable on the Compassionate Allowance sanctioned to the employees discharged or removed from service and the said dearness relief shall also be payable to persons receiving family pension and extra ordinary pension under the restrictions contained in the Finance Department's Memo No. F.B.6/43/76/R-II/IV, dated 5-10-76. The dearness relief on the pension/family pension shall not be payable in the

वित्त निर्देश 66/2013

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन - नया रायपुर

क्र. 524/एफ 2013-21-00192/वि/नि/चार नया रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर, 2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषयः- तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता सुविधा ।

संदर्भः- वित्त विभाग का ज्ञापन कमांक 210/277/वित्त/नियम/चार/2008, दिनांक 01 अक्टूबर, 2008
वित्त विभाग का ज्ञापन कमांक 119/217/11/वित्त/नियम/चार, दिनांक 29 अप्रैल, 2011
वित्त विभाग का ज्ञापन कमांक 213 / एफ-1000903 / 12 / वित्त / नियम / चार, दिनांक 13 जुलाई, 2012

संदर्भित परिपत्र दिनांक 13.07.2012 द्वारा राज्य के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को स्वयं एवं परिवार के सदस्यों के बाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार के एवज में वर्तमान में लागू चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियम के अंतर्गत देय प्रतिपूर्ति के स्थान पर विकल्प के आधार पर रूपये 200/- प्रतिमाह की दर से चिकित्सा भत्ता स्वीकृत करने संबंधी आदेश जारी किया गया है । चिकित्सा भत्ता सुविधा हेतु एक बार पुनः विकल्प देने या पूर्व में दिया गया विकल्प परिवर्तित करने हेतु दिनांक 30.09.2012 तक अंतिम अवसर दिया गया था।

2/ विभिन्न विभागों एवं कर्मचारी संघों द्वारा राज्य शासन से मार्गदर्शन चाहा गया है कि ऐसे शासकीय सेवक जो दिनांक 01.10.2012 को अथवा उसके पश्चात् नवनियुक्त हुए है, को वित्त विभाग के निर्देशों के तहत चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने हेतु विकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है या नहीं, यदि हां तो विकल्प प्रस्तुत करने की समय-सीमा क्या होगी ।

3/ राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिनकी नियुक्ति दिनांक 01.10.2012 को अथवा उसके पश्चात् हुई है, उन्हें शासन में पदग्रहण के एक माह के भीतर विकल्प देने की पात्रता होगी, विकल्प न देने की स्थिति में यह माना जाएगा कि उनके द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति का विकल्प लिया गया है ।

दिनांक 30.09.2012 के पश्चात् नियुक्त ऐसे कर्मचारी जिन्होंने चिकित्सा भत्ता लेने/ न लेने संबंधी विकल्प नहीं दिया है, उन्हें दिनांक 15.01.2014 तक विकल्प प्रदाय करने हेतु एक अंतिम अवसर इस शर्त पर दिया जाता है कि वर्णित तिथि के उपरान्त विकल्प परिवर्तन के किसी भी प्रकरण पर विचार नही किया जायेगा । प्रशासकीय विभागों द्वारा भी ऐसे प्रस्ताव वित्त विभाग को विचारार्थ नहीं भेजा जाना सुनिश्चित किया जाएगा ।

4/ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित विकल्प के आधार पर केवल विकल्प परिवर्तन संबंधी आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करने की तिथि के पश्चात् उदभुत स्वत्वों का ही निराकरण किया जाएगा, उसके पूर्व की अवधि के दावे जो कभी भी कार्यालय में प्रस्तुत किये गये हों, पूर्व विकल्प के आधार पर ही निराकृत होंगे ।

(एस.के.चक्रवर्ती) 20/12/2013
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्र.525/एफ 2013-21-00192/वि/नि/चार नया रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर, 2013

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर ।
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर ।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नया रायपुर ।
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर ।
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर ।
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर ।
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली ।
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर ।
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
14. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर ।
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर ।
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ ।
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़ ।
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर ।
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(करूणा पाण्डेय)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
वित्त विभाग

वित्त निर्देश 15/2015

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन - नया रायपुर

क्रमांक 145/एफ 2015-21-00650/वि/नि/चार नया रायपुर, दिनांक 14 मई, 2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़ ।

विषय:-तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता सुविधा ।

संदर्भ:-वित्त विभाग का ज्ञापन कमांक 210/277/वित्त/नियम/चार/2008, दिनांक 01 अक्टूबर, 2008.
वित्त विभाग का ज्ञापन कमांक 119/217/11/वित्त/नियम/चार, दिनांक 29 अप्रैल, 2011.
वित्त विभाग का ज्ञापन कमांक 213/एफ-1000903/12/वित्त/नियम/चार, दिनांक 13 जुलाई, 2012.
वित्त विभाग का ज्ञापन कमांक 524/एफ 2013-21-00192/वि/नि/चार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2013.

वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 13 जुलाई, 2012 द्वारा राज्य के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को स्वयं एवं परिवार के सदस्यों के बाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार के एवज में चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियम के अंतर्गत देय प्रतिपूर्ति के स्थान पर विकल्प के आधार पर रूपये 200/- प्रतिमाह की दर से चिकित्सा भत्ता स्वीकृत

करने संबंधी आदेश जारी किया गया है तथा चिकित्सा भत्ता सुविधा के लिए एकबार पुनः विकल्प देने या पूर्व में दिया गया विकल्प परिवर्तन करने हेतु दिनांक 30.9.2012 तक अंतिम अवसर दिया गया था ।

2/ विभिन्न विभागों एवं कर्मचारी संघों द्वारा चिकित्सा भत्ता सुविधा हेतु विकल्प परिवर्तन के लिए एक और अवसर देने की मांग की जा रही है । राज्य शासन द्वारा प्रकरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि राज्य के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता सुविधा के लिए एकबार पुनः विकल्प देने या पूर्व में दिया गया विकल्प परिवर्तन करने हेतु दिनांक 31 जुलाई, 2015 तक एक अंतिम अवसर इस शर्त पर दी जाए कि दिनांक 31 जुलाई, 2015 के उपरान्त विकल्प परिवर्तन के किसी भी प्रकरण पर विचार नही किया जाएगा । प्रशासकीय विभागों द्वारा भी ऐसे प्रस्ताव वित्त विभाग को विचारार्थ नही भेजा जाना सुनिश्चित किया जाएगा ।

3/ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित विकल्प के आधार पर केवल विकल्प परिवर्तन संबंधी आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करने की तिथि के पश्चात् उद्भुत स्वत्वों का ही निराकरण किया जाएगा, उसके पूर्व की अवधि के दावे जो कभी भी कार्यालय में प्रस्तुत किये गये हों, पूर्व विकल्प के आधार पर ही निराकृत होंगे ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के.चक्रवर्ती) 14/05/2015
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

क्रमांक 146/एफ 2015-21-00650/वि/नि/चार नया रायपुर, दिनांक 14 मई, 2015

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर ।
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर ।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नया रायपुर ।
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर ।
9. सचिव, वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर ।
10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर ।
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली ।
12. राज्य सूचना आयुक्त, शास्त्री चौक, रायपुर ।
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
14. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर ।
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर ।
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ ।
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़ ।
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर ।
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

14/05/15

(ज्योति ठाकुर सोरी)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
वित्त विभाग